

## कार्यकारी सारांश

- 1. प्रस्तावना :-** मैंगनीज अयस्क समाज तथा राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं। सामरिक एवं आधारभूत संरचना के विकास तथा उत्पादन के लिए यह पैर की एड़ी की तरह है। देश का आर्थिक विकास में मैंगनीज अयस्क का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मैंगनीज अयस्क एक पारंपारिक पदार्थ हैं जिससे यह भारत के लिए 1892 से विदेशी मुद्रा प्राप्ति का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मैंगनीज प्रकृति में धातु के रूप में नहीं मिलता हैं बल्कि यह आक्साइड मैंगनेट, कार्बोनेट एवं सिलिकेट के रूप में मिलता हैं। इसका उपयोग स्टील एवं आयरन उद्योग में एक आवश्यक कच्चे माल के रूप में होता हैं साथ ही मैंगनीज के अन्य प्रकारों का उपयोग उर्वरक, पॉर्सिलेन इनेमल, शुष्क सेल, केमिकल वार्निश, वेल्डिंग राड इत्यादि उद्योगों में किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज मैंगनीज का एक नया प्रकार है इसका उपयोग धातु उद्योगों में किया जाता है खास तौर से लौह उत्पादन में। पूरे विश्व में मैंगनीज के उत्पादन एवं निर्यात में भारत का स्थान रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा हैं।
- 2. परियोजना की पृष्ठभूमि :-** मेसर्स शाकम्भरी माईनस एवं मिनरलस एक निजी स्वामित्व वाली संस्था है, जो कि विगत 10 वर्षों से अयस्क के व्यवसाय से जुड़ी है। संस्था के द्वारा ग्राम गोवारी वादोना, तहसील सौंसर जिला छिंदवाडा, म.प्र. में मैंगनीज खदान कार्य करना प्रस्तावित है। इस परियोजना के अन्तर्गत ग्राम गोवारी वादोना, तहसील सौंसर जिला छिंदवाडा, म.प्र. में संस्था के द्वारा 6.607 हेक्टेयर जमीन ली गई है। इस खदान से प्रतिवर्ष 2100 टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित हैं। खदान के क्रियाकलापों के चलते पर्यावरण पर इसके प्रभाव का निर्धारण एवं पर्यावरणीय प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था के बहु-प्रयोजन के लिए मेसर्स शाकम्भरी माईनस एवं मिनरलस के द्वारा खनिज परियोजना के लिए " त्वरित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन " की अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
- 3. परियोजना की भौगोलिक स्थिति :-** खदान क्षेत्र ग्राम गोवारी वादोना, तहसील सौंसर जिला छिंदवाडा, म.प्र. में टोपोशीट नं. 55 K/14 (स्केल 1:50,000) पर में स्थित है।

गाँव का नाम :- गोवारी वादोना

तहसील का नाम :- सौंसर जिला छिंदवाडा

खदान मालिक का नाम :- मेसर्स शाकम्भरी माईनस एवं मिनरलस

खदान का क्षेत्रफल :- 6.607 हेक्टेयर

क्रमांक		स्थिति
1	देशांश	21°32'N
2	अक्षांश	78°44' E
3	समुद्र तल से ऊँचाई	470मी
4	निकटवर्ती शहर	सौंसर- 17 किमी सावनेर - 15 किमी
5	निकटवर्ती रेल्वे स्टेशन	लोधीखेड़ा - 08 किमी
6	निकटवर्ती हवाई अड्डा	नागपुर - 57 किमी
7	निकटवर्ती राजकीय/राष्ट्रीय मार्ग	छिंदवाडा - नागपुर राजकीय मार्ग - 2 किमी
8	निकटवर्ती गाँव	गोवारी वादोना - 1.5 किमी
9	पहाड़ी/घाटी	नहीं
10	पारस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र	नहीं
11	सुरक्षित वन	नहीं
12	ऐतिहासिक स्थान	नहीं
13	निकटवर्ती नदी या नाला	कन्हान नदी - 4 किमी - पूर्व दनपती नाला - 9.0 किमी - पश्चिम
14	वार्षिक जलवायु स्थिति	अधिकतम तापमान - 46°C न्यूनतम तापमान - 10.0 °C वर्षा -600 -800 mm अधिकतम आद्रता (%) - 100% न्यूनतम आद्रता (%) - 7% वायु प्रवाह की दिशा - उत्तर, पूर्व, उत्तरपूर्व

4. **परिवहन :-** प्रस्तावित क्षेत्र नागपुर छिंदवाडा राजकीय रोड पर नागपुर से 57 किमी पर, और जिला मुख्यालय छिंदवाडा से 67 किमी पर है। खैरीतायगाँव, तहसील सौंसर का कस्बा है। खैरीतायगाँव से खदान क्षेत्र 2 किमी दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन लोधीखेड़ा (NG) है यह लगभग 8 किमी दूरी पर है।

कार्यकारी सांराश गोवारी वादोना मैंगनीज अयस्क खदान (6.607 हैक्टे.) मेसर्स शाकम्भरी माईन एवं मिनरल

5. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) का औचित्य :- पर्यावरण पर खदान का प्रभाव काफी हद तक स्थल-स्थिति, मानव आवास, वायुमण्डलीय स्थिति, परिवेश की वायु गुणवत्ता, पानी, कृषि और वनभूमि आदि पर निर्भर करता है। खदान के अधिकांश दुष्प्रभावों की रोकथाम, उचित व्यवस्था एवं नियंत्रण के तकनीकी उपायों के द्वारा तथा परिचालित खदान के पर्यावरण का प्रभावी प्रबंधन करके की जा सकती है। खदान से पर्यावरण पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुये त्वरित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की यह रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तावित खदान क्षेत्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के प्रयोजन से तैयार की गई हैं।

#### 6. परियोजना का विवरण

6.1 सुरक्षित भण्डार :- इस खदान क्षेत्र में मैंगनीज अयस्क की कुल सुरक्षित मात्रा की गणना प्रायमरी बेडेड डिपोजिट के द्वारा की गई है जो कि निम्नानुसार है :-

प्रमाणित श्रेणी (Proved Category)	:-	41,250.00 MT
संभाव्य श्रेणी (Probable Category)	:-	19,250.00 MT
संभव श्रेणी (Possible Category)	:-	19,250.00 MT
योग	:-	83,750.00 MT

6.2 खदान का अनुमानित जीवन (life) :- खदान की लाइफ का अनुमान खदान के पूर्ण विकसित होने पर एवं आगामी वर्षों के लिए उत्पादन दर के आधार पर लगाया जा सकता हैं। अनुमान है कि पूर्ण विकसित खदान से प्रतिवर्ष 2100 टन का उत्पादन संभव हो सकेगा। उक्त कारकों का ध्यान में रखते हुए एवं वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार खनन लायक रिजर्व से खदान का अनुमानित जीवन 25 वर्ष के आसपास होगा।

6.3 उत्खनन विधि :- अयस्क के उत्खनन में ओपेनकास्ट मैनुअल तरीका अपनाया जाएगा। इस विधि में सभी कार्य हाथ से होंगे जिसमें सब्बल, कुदाल/फावड़ा, छेनी, हथौड़ा जैसे हस्तचलित औजसों का इस्तेमाल होगा। प्रस्तावित खनिज क्षेत्र में पूर्व में की गई खनन प्रक्रिया के कारण एक बड़ा खनित गड़ढा अस्तित्व में हैं। भविष्य में समस्त खनन गतिविधियाँ इसी गड़ढे में संचालित की जाएगी। ढुलाई रोड का विस्तार गड़ढे की सतह तक किया जाएगा। बेंच की ऊँचाई 1.5 मी होगी जबकि चौड़ाई खुली खदान की फर्श के बराबर होगी। छटाई एवं कटाई का काम मजदूरों के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ओवरवर्डन और खनिज की ढुलाई का काम भी मजदूरों के द्वारा किया जाएगा। विकास और उत्पादन गतिविधियाँ समस्तर पर एक साथ चलेंगी। खनिज के बेहतर पर्यवेक्षण,

कार्यकारी सांराश गोवारी वादोना मैंगनीज अयस्क खदान (6.607 हैक्टे.) मेसर्स शाकम्भरी माईन एवं मिनरल

नियंत्रण एवं अभिरक्षण के लिहाज से विकास एवं उत्पादन एक स्थान पर ही रखना प्रस्तावित है। विकास के लिए अपेक्षित खनन मशीनरी एवं उपकरणों में न्यूमैटिक ट्रेलर्स, टैक्टरर्स कम्प्रेसर्स और ड्रिल मशीनें, पानी वाले पंप इत्यादि शामिल हैं। सम्पूर्ण खुदाई सब्बल, कुदाल/फावड़ा, छेनी और हथौड़े जैसे हस्तचलित औजारों से की जाएगी। छटाई और विकास कार्य एवं ओवरवर्डन की निकासी का कार्य भी मजदूरों के द्वारा ही किया जाएगा।

**6.4 प्रस्तावित उत्पादन दर :-** खदान के पूर्णतः विकसित होने पर बिक्री योग्य अयस्क का वार्षिक उत्पादन लगभग 2100 टन होगा।

**6.5 ढुलाई कार्य :-** ट्राली/ट्रकों पर अयस्क की ढुलाई मजदूरों के द्वारा की जाएगी और उसे अंतिम उपयोगकर्ता को भेजा जाएगा। ओवरबर्डन को खदान की सतह पर ही दीवार के पास पूर्व निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा।

**6.6 पहुँच मार्ग/परिवहन :-** अयस्क को टबों में भरकर छटाई क्षेत्र में भेजा जाएगा।

**6.7 खदान का जल बहाव :-** खदान क्षेत्र में भू-जल स्तर 30मी (440 MRL) जबकि जमीन की सतह का स्तर 470 MRL है, चूकिं खदान की खुदाई जमीन सतह से 35मी (435 MRL) नीचे तक की जाएगी, अतः ऐसा अनुमान है कि जब उत्खनन कार्य भू-जल स्तर से नीचे होगा तो जल का रिसाव हो सकता है। बरसात में विकसित क्षेत्र में एकत्रित जल का उपयोग खदान क्षेत्र में लगाए जाने वाले पेड़-पौधों के विकास में किया जाएगा।

**6.8 ठोस अवशिष्ट पदार्थ प्रबंधन :-** खदान क्षेत्र में प्रस्तावित उत्खनन कार्य ओपनकास्ट मैनुअल विधि के द्वारा विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करके किया जाएगा। लीज अवधि के अंत तक 6.607 हैक्टयर क्षेत्र में से 3.2 हैक्टयर क्षेत्र की खुदाई किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में खुदी हुई जगह का क्षेत्रफल 2.24 हैक्टयर है तथा जहाँ पर निकली हुई मिट्टी और अवशिष्ट को रखा गया है उस जगह का क्षेत्रफल करीब 1.28 हैक्टयर हैं। उत्पादन दर को ध्यान में रखते हुए अनुमान है कि मासिक आधार पर लगभग 128 क्यूबिक मीटर अवशिष्ट पदार्थ निकलेगा यह अवशिष्ट पदार्थ खदान क्षेत्र की पूर्वी सीमा पर व्यवस्थित तरीके से जमा किया जाएगा। वर्तमान में यहाँ पर लगभग 1,20,000 क्यूबिक मीटर अवशिष्ट पदार्थ रखा हुआ है और अनुमान है कि लीज अवधि में लगभग 1,50,800 क्यूबिक मीटर निकलेगा। ऊपरी सतह की मिट्टी को खदान क्षेत्र के अंदर ही एकत्र किया जाएगा। आगामी पाँच वर्षों में खदान को पुनः भरने का कार्य प्रस्तावित नहीं है क्योंकि उस समय नीचे गहराई में खनिजीकरण कार्य चल रहा होगा। खदान लीज खत्म होने के समय कुल

कार्यकारी सांराश गोवारी वादोना मैंगनीज अयस्क खदान (6.607 हैक्टे.) मेसर्स शाकम्भरी माईन एवं मिनरल

खनन किए गये क्षेत्र में से 2.0 हैक्टेयर क्षेत्र को पुनः भरा जाएगा एवं शेष 1.2 हैक्टेयर क्षेत्र पोखर के रूप में बचेगा। जो 2 हैक्टेयर क्षेत्र को भरा गया है उसमें से 2 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कर उसे बागान में बदला जाएगा एवं बाकी शेष क्षेत्र को कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। जिस क्षेत्र में ठोस अवशिष्ट पदार्थ को रखा जाएगा उस क्षेपण भूमि (Dumps) को तेजी से बढ़ने वाली घास से एवं विभिन्न वनस्पतियों से स्थिर रखा जाएगा। इन Dumps की ऊँचाई लगभग 6-7 मी होगी एवं ढलान 36° की होगी। वाश आफ एवं रन आफ से सुरक्षा के लिए ढलान की ओर नाली का निर्माण मालाकार में किया जाएगा। खुदाई का ऐसा क्षेत्र जिसकी दुबारा भराई करना व्यवहारिक न हो, उस क्षेत्र को बरसाती पानी एकत्र होने के वैसा ही छोड़ दिया जाएगा। उत्खनन के बाद भूमि का उपयोग निम्न प्रयोजनों के लिए किया जाएगा :-

क) पोखर :- 1.2 हैक्टेयर

ख) कृषि कार्य एवं वृक्षारोपण :- 3.4 हैक्टेयर

पुनः भराई का कार्य 15वें वर्ष के बाद किया जाना प्रस्तावित है ऐसा करते समय कार्य करने वाली जगह और पुनः भराई किये जाने वाले क्षेत्र में बीच में पर्याप्त अंतर रखा जाएगा। ओवरबर्डन तथा अवशिष्ट पदार्थ को पुनः भराई क्षेत्र तक केन बास्केट से मजदूरों के द्वारा ले जाया जाएगा। ठोस अवशिष्ट पदार्थ एवं अपरिष्कृत सामग्री को पहले भरा जाएगा फिर उसके ऊपर बारीक सामग्री डाली जाएगी अंत में ऊपर से 0.5 मीटर मिट्टी की सतह बिछा कर उसे समतल किया जाएगा। जमीन को समतल करके एवं ग्रेडिंग करके उसे कृषि योग्य जमीन में परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रकार से खदान लीज क्षेत्र की जमीन की परिष्करण होने के बाद उसमें प्राकृतिक सौन्दर्य पुनः आ जाएगा। अतः जमीनी पर्यावरण पर खनन का प्रभाव अति अल्प है।

**6.9 संसाधन आवश्यकता :-** प्रस्तुत प्रस्ताव ग्राम गोवारी वादोना, तहसील सौंसर जिला छिंदवाडा (म.प्र.) में मैंगनीज की खनन के लिए है और इसके प्रभावी प्रचालन के लिए उपयोग में आने वाली सभी जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएगी जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :-

**6.9.1 भण्डारण सुविधा :-** खनिज उत्पाद, विस्फोटक और अवशिष्ट पदार्थ के भण्डारण की उचित व्यवस्था की जाएगी जो माइनिंग प्रक्रिया के दौरान पैदा/प्रयुक्त होंगे। प्रस्तावित खनिज उत्पाद और एकत्रित अवशिष्ट को वर्तमान खदान क्षेत्र में रखा जाएगा।

कार्यकारी सांराश गोवारी वादोना मैंगनीज अयस्क खदान (6.607 हैक्टे.) मेसर्स शाकम्भरी माईन एवं मिनरल

**6.9.2 परियोजना लागत :-** प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत लगभग बीस लाख रुपये है।

परियोजना	अनुमानित लागत लाख में
मैंगनीज अयस्क का खनन	10 लाख रुपये मात्र

**6.9.3 बिजली व्यवस्था :-** परियोजना के लिए बिजली की व्यवस्था म.प्र. राज्य विद्युत मंडल के विद्युत सब-स्टेशन से की जाएगी जो कि खैरीतायगाँव ग्राम में स्थित है।

**6.9.4 जल व्यवस्था :-** यद्यपि उत्खनन हेतु जल की आवश्यकता नहीं होती है फिर भी घरेलु उपयोग एवं अन्य कार्यों के लिए जल की कुल आवश्यकता 6000 लीटर प्रतिदिन की होगी जिसकी आपूर्ति भूजल स्रोतों से की जाएगी। कुल पानी की मात्रा का उपयोग निम्नानुसार किया जाएगा :-

#### जल संतुलन तंत्र

उपयोग	न्यूनतम मात्रा	अधिकतम मात्रा
क) खदान हेतु		
धूल पर छिड़काव हेतु	4000 लीटर	4000 लीटर
वृक्षारोपण हेतु	1000 लीटर	1000 लीटर
ख) घरेलु कार्य		
पीने एवं अन्य घरेलु उपयोग हेतु	1000 लीटर	1000 लीटर
कुल (क एवं ख) प्रतिदिन	6000 लीटर	6000 लीटर

**7.0 वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति:-** क्षेत्र की जलवायु आर्शिक शुष्क प्रकार की है। क्षेत्र का अधिकतम तापमान मई के माह में 46 डिग्री सेंटीग्रेट देखा गया है एवं न्यूनतम तापमान जनवरी माह में 10.0 सेन्टीग्रेट देखा गया है। औसत वर्षा लगभग 600-800 मिमी देखी गई है। ग्रीष्म काल एवं शीतकाल के दौरान हवाये हल्की से मध्यम गति की होती रहती है, जबकि वायु गति ग्रीष्मकाल के अंत में बढ़ना शुरू हो जाती है।

**7.1 जलवायु स्थिति :-** क्षेत्र की वातावरणीय परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

- 7.1.1 तापमान :-** शीतकाल दिसम्बर से शुरू होकर फरवरी माह के अन्त तक रहता है। जनवरी माह में सबसे अधिक ठंड रहती है एवं इस समय दिन का औसत अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेंटीग्रेट रहता है एवं औसत न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेंटीग्रेट रहता है। मार्च से मई माह के दौरान तापमान की तीव्रता में वृद्धि होती है एवं मानसून के पूर्व मई माह में अधिकतम औसत तापमान 47.5 डिग्री सेंटीग्रेट एवं न्यूनतम औसत तापमान 20.0 डिग्री सेंटीग्रेट देखा गया है। मानसून (सितम्बर) के दौरान अधिकतम औसत तापमान 37.0 डिग्री सेंटीग्रेट एवं न्यूनतम औसत तापमान 19.0 डिग्री सेंटीग्रेट रहता है।
- 7.1.2 आपेक्षिक आद्रता :-** क्षेत्र में मानसून के समय आपेक्षिक आद्रता सुबह 8.30 बजे अधिकतम 96 प्रतिशत एवं शाम 5.30 बजे न्यूनतम 60 प्रतिशत दर्ज की गई है। मानसून के पश्चात् अधिकतम आर्द्रता 83 प्रतिशत एवं न्यूनतम 48 प्रतिशत दर्ज की गई है।
- 7.1.3 वर्षा :-** क्षेत्र में मानसून दक्षिणी-पश्चिमी मानसूनी हवाओं के द्वारा आता है। विगत 10 वर्षों के आकड़ों के मुताबिक क्षेत्र में औसत वर्षा 1600-1800 मिमी रही है। मानसून औसतन जून माह से प्रारंभ होकर सितम्बर माह के मध्य तक रहता है। मानसून के दौरान सुबह व शाम दोनों समय आकाश बादलों से ढका रहता है।
- 7.1.4 बादल :-** 30 वर्षों के औसत आकड़ों से पता चलता है कि जुलाई एवं अगस्त के माह में आकाश बादलों से अधिकतम ढका होता है जिसकी माप 7.1 ओकटास (oktas), जबकि नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी के माह में यह माप 2.0 ओकटास (oktas) देखा गया है।
- 7.1.5 वायु दिशा :-** इस क्षेत्र में औसतन पूरे वर्ष हल्की से मध्यम प्रकार की हवायें बहती रहती है। सुबह के समय हवायें हल्की से मध्यम प्रकार की होती है एवं दोपहर के बाद हवायें भारी हो जाती है। आंकड़ों से पता चलता है कि हवाओं की मुख्य दिशा उत्तर उत्तरपूर्वी, उत्तरी, पूर्वी एवं उत्तरपश्चिमी देखी गई है।
- 7.2 वायु गुणवत्ता :-** वायु गुणवत्ता के मापन के लिए, रेस्पाइरीएबल डस्ट सेंपलर (RDS) की सहायता से वायु के नमूनों को एकत्र किया एवं उनका विश्लेषण किया गया है। नमूनों के संग्रहण के लिए कुल आठ (8) स्टेशन स्थापित किए गये जिनसे उस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता का की स्थिति का पता चल सके।

वायु गुणवत्ता परिणामों का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों से  
तुलनात्मक अध्ययन

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	CPCB Norms	
									औद्योगिक क्षेत्र	रहवासी एवं ग्रामीण क्षेत्र
मार्च – मई 2007										
<b>एसपीएम सांद्रता</b>										
न्यूनतम	96	102	108	116	100	96	108	88	500	200
अधिकतम	132	136	158	180	138	140	132	119		
औसत	114.1	113.7	126.5	148.5	118.7	115.8	119.5	103.4		
<b>आरपीएम सांद्रता</b>										
न्यूनतम	46	50	46	52	38	36	60	48	150	100
अधिकतम	72	72	78	86	68	58	68	53		
औसत	58.5	58.2	57.3	64.6	52.7	44.2	63.4	50.4		
<b>SO2 सांद्रता</b>										
न्यूनतम	7.6	8.8	10	10.2	9.4	9.5	12.2	7.1	120	80
अधिकतम	8.9	10.2	12.6	12.7	11.5	10.8	13.6	8.4		
औसत	8.32	9.44	11.3	11.4	10.4	10.1	12.8	7.8		
<b>NOX सांद्रता</b>										
न्यूनतम	10	10	12.1	12.3	12.0	11.5	12.3	8.1	120	80
अधिकतम	11.6	12	14.6	14.8	14.8	13.9	1.37	9.3		
औसत	10.7	10.8	13.2	13.4	13.5	12.8	12.8	8.6		

- 7.3 ध्वनि गुणवत्ता एवं स्तर :-** ध्वनि स्तर मापन हेतु उन्ही स्थानों का चयन किया गया है जिन स्थानों पर वायु गुणवत्ता का मापन किया गया है। दो दिनों तक घंटों के आधार पर ध्वनि स्तर के नमूने एकत्र किए गए
- नमूनों के परिणाम, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा निर्धारित मानकों से कम पाए गये
  - यातायात की गतिविधियाँ भी ध्वनि/शोर का मुख्य कारण है।

**7.4 जल गुणवत्ता :-**

**7.4.1 सतही जल :-** सतही जल का मुख्य स्रोत खदान से 4 किमी पूर्व दिशा में स्थित कन्हान नदी है। इस नदी के पानी उपयोग इस क्षेत्र में घरेलु एवं कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। खदान क्षेत्र में पहले से खुदे हुए गड्ढों में भरे

हुए जल का उपयोग भी आसपास के क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया जाता हैं। उपरोक्त स्थानों से एकत्र किये गए जल के नमूनों के विश्लेषण से पता चलता है कि जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप ही हैं। पानी में घुलित आक्सीजन की मात्रा 6.1 से 6.2 मिग्रा/ली, कुल हार्डनेस 242 से 300 मिग्रा/ली, बीओडी की मात्रा 2.1 से 2.4 मिग्रा/ली तक देखी गई। भारी धातुओं की सांद्रता निर्धारित मानकों के अंदर ही पाई गई। नदी जल के विश्लेषण से पता चलता है कि नदी में कार्बनिक प्रदूषण महत्वहीन है। विश्लेषण के परिणामों से पता चलता है कि नमूनों के परिणाम आईएस 2296 में निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप ही हैं।

**7.4.2 भूजल :-** क्षेत्र के अधिकतम गाँवों में जल की आवश्यकता की पूर्ति भूजल स्रोतों से माध्यम से होती है। कुँए के पानी का उपयोग घरेलु व सिंचाई की आवश्यकता के लिए किया जाता है। भूजल के नमूने कुल चार (4) स्थानों से एकत्र किए गए, जिनमें से हर स्थान से महीने में एक बार नमूने एकत्र किए गए एवं एकत्र किए गए नमूनों का भौतिक व रासायनिक परीक्षण, भारी धातुओं के लिए विश्लेषण एवं जल का बैक्टीरियोलॉजिकल विश्लेषण किया गया। इन नमूनों का विश्लेषण **APHA** की मानक विधियों के द्वारा किया गया। जिसमें पीएच 7.45 से 7.8, चालकता 240 से 280  $\mu\text{mhm/cm}$ , क्षारकता व हार्डनेस क्रमशः 105 से 134 मिग्रा/ली एवं 120 से 142 मिग्रा/ली पाई गई तथा भारी धातुएँ निर्धारित मात्रा में पाई गई हैं। विश्लेषण परिणाम बताते हैं कि भूजल गुणवत्ता आईएस-10500 में निर्धारित मानक स्तर के अनुरूप है।


**7.5 मिट्टी की गुणवत्ता :-** खदान के 10किमी की परिधि में मिट्टी के 5 नमूने एकत्रित किए गए। हर स्थान पर तीन विभिन्न गहराईयों 30 सेंमी, 60सेमी एवं 90सेमी से मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए एवं उन्हें समान रूप से मिश्रित किया गया। इस मिश्रण का भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण किया गया। औसत विश्लेषण हेतु मिट्टी के कुछ नमूने 15सेमी पर भी एकत्र किये गए। विश्लेषण में यह देखा गया कि मिट्टी रेतीली व क्ले प्रकार की है, कार्बनिक कार्बन 1.2 से 1.5 प्रतिशत, नाइट्रोजन 572 से 604 किग्रा/हेक्टेयर, फास्फोरस 52.2 से 68.2 किग्रा/हेक्टेयर एवं पीएच 8.12 से 8.57 की श्रेणी में पाया गया। मिट्टी में लोहा, जिंक व क्लोराइड का उच्च प्रतिशत पाया गया हैं।

6.6 वनस्पति एवं जीव-जंतु :- वातावरण, वर्षा एवं वनस्पति प्रकार क्षेत्र में जीव-जंतुओं की उपस्थिति निर्धारित करती है।

प्राकृतिक रूप से उगने वाली प्रजाति	
कोहू ( <i>Terminalia arjuna</i> )	करंजी ( <i>Pongamia pinnata</i> )
शीशम ( <i>Dalbergia sissoo</i> )	बबूल ( <i>Acacia arabica</i> )
नीम ( <i>Azadirachta indica</i> )	कचनार ( <i>Bauhinia variegata</i> )
आकाशनीम ( <i>Millingtonia hertonsia</i> )	बरगद ( <i>Ficus bengalensis</i> )
गूलर ( <i>Ficus glomerata</i> )	जामून ( <i>Syzygium cumini</i> )
आम ( <i>Mangifera indica</i> )	पलाश ( <i>Butea monosperma</i> )
महूआ ( <i>Madhuca latifolia</i> )	बेर ( <i>Zizyphus mauritiana</i> )
बेल ( <i>Aegle mermelos</i> )	साज ( <i>Terminalia tomentosa</i> )
काकैर ( <i>Flacorita indica</i> )	तेंदू ( <i>Diospyros melanoxylon</i> )
	रेनूजा ( <i>Acacia leucophloea</i> )
CULTIVATED TREES GROWING IN THE VILLAGES	
बरगद ( <i>Ficus bengalensis</i> )	गूलर ( <i>Ficus glomerata</i> )
पीपल ( <i>Ficus religiosa</i> )	इमली ( <i>Tamarindus indica</i> )
आम ( <i>Mangifera indica</i> )	जामून ( <i>Syzygium cumini</i> )
मूंगा ( <i>Moringa olderfera</i> )	बेर ( <i>Zizyphus mauritiana</i> )
बेल ( <i>Aegle marmelos</i> )	लसोरिया ( <i>Cordia dichotoma</i> )
नीम ( <i>Azadirachta indica</i> )	महूआ ( <i>Madhuca latifolia</i> )
सीताफल ( <i>Anona squamosa</i> )	
पशु-पक्षी	
लाल बंदर ( <i>Macacus rhesus</i> )	जंगली बिल्ली ( <i>Felischaus</i> )
Mongoose ( <i>Herpests mingo</i> )	सांभर ( <i>Crevus unicolor</i> )
काले मुंह का बंदर ( <i>Semnapthecus on lellccs</i> )	Common hawcuckoo ( <i>Cuculus micropterces</i> )
House sparrow ( <i>Passer domesticus</i> )	घरेलू मुर्गा ( <i>carvus splendens</i> )
मैना ( <i>Acrido tehra tristis</i> )	

**7.7 भू-उपयोग प्रकार :-** अध्ययन क्षेत्र में लगभग 28560 हैक्टेयर भूमि आती है। उपरोक्त भूउपयोग के आंकड़े ग्राम स्तर पर, जनसंख्या विभाग व सर्वेक्षण के आधार पर एकत्रित किए गए हैं। अध्ययन क्षेत्र की सीमा पर कई गाँव स्थित हैं जिनका कुछ हिस्सा परिधि में तथा कुछ हिस्सा परिधि के बाहर है, ऐसे गाँवों का विवरण पूर्ण रूप से लिया गया है। भूउपयोग को मुख्यतः चार प्रकार में बाँटा गया है वन क्षेत्र, कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र, कृषि योग्य बेकार भूमि एवं कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत भू-उपयोग निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	क्षेत्र (हैक्टेयर)	प्रतिशत
1.	वन क्षेत्र	914	3.2
2.	कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र,		
	क) सिंचित क्षेत्र	2067	7.24
	ख) असिंचित क्षेत्र	15850	55.5
3.	कृषि योग्य बेकार भूमि	3633	12.72
4.	कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि	6096	21.34
	कुल क्षेत्र	28560	100



**7.8 सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ :-** अध्ययन क्षेत्र छिंदवाडा जिले के सौंसर विकासखण्ड में स्थित है। जिले की जनसंख्या का अधिकतम भाग ग्रामीण (80 प्रतिशत) है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 13.33 है एवं कुल कामगारों का प्रतिशत

कार्यकारी सांराश गोवारी वादोना मैंगनीज अयस्क खदान (6.607 हैक्टे.) मेसर्स शाकम्भरी माईन एवं मिनरल

लगभग 49 है। कुल कामगारों में से 46 प्रतिशत लोग कृषि या कृषि संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं अत यह कहा जा सकता है कि क्षेत्र की अधिकांश जनता कृषि से संबंधित कार्यों पर निर्भर है।

### अध्ययन क्षेत्र की भौतिक सांख्यिकी

1. हाउसहोल्ड	12049
2. जनसंख्या	53721
पुरुष	28013
महिला	25706
3. अनुसूचित जनजाति	7163
4. अनुसूचित जाति	7665
5. सारक्षता प्रतिशत	64.2%
6. व्यवसाय स्थिति	
(अ) कामगार (कुल जनसंख्या का %)	49%
i) कृषक (कुल कामगार का %)	46.66%
ii) खेतीहर मजदूर (कुल कामगार का %)	38.35%
iii) अन्य मजदूर (कुल कामगार का %)	15.99%
(ब) अन्य कार्य (कुल जनसंख्या का %)	19.04%

### अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध सुविधायें

1.	कुल गाँव	54
2.	शिक्षा	
	प्राथमिक स्कूल	50
	माध्यमिक स्कूल	7
	उच्च माध्यमिक स्कूल	3
	उच्चतर माध्यमिक स्कूल	3
	कालेज	0
3.	स्वास्थ्य सुविधा	
	अस्पताल	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	33
4.	थाना	2
5.	डाकतार सुविधा	
	डाक कार्यालय	18
	तार सुविधा	0

कार्यकारी सांराश गोवारी वादोना मैंगनीज अयस्क खदान (6.607 हैक्टे.) मेसर्स शाकम्भरी माईन एवं मिनरल

**8.0 प्रभाव मूल्यांकन :-** खनन प्रक्रिया से वर्तमान पर्यावरण पर ऋणात्मक प्रभाव संभावित है, परन्तु अग्रिम योजना एवं बेहतर पर्यावरणीय प्रबंधन के द्वारा भू पर्यावरण को उसकी पुर्नस्थिति एवं बेहतर उपयोग के लिए बदला जा सकता है।

**9.0 प्रभाव की गणना :-** उन्नत मेट्रिक्स विधि के द्वारा संवेदनशील पर्यावरणीय इकाईयों पर तथ्यात्मक एवं गणनात्मक रूप से पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों की गणना करने का प्रयत्न किया गया है। प्रस्तावित खनन के कारण होने वाले प्रभावों की गणना उद्देश्य, प्रक्रिया व आसपास के वातावरण पर आधारित है। खनन प्रक्रिया के कारण होने वाले प्रभावों का अध्ययन जल, वायु, भूमि एवं संबंधित इकाईयों को ध्यान में रखकर किया गया है। पर्यावरणीय प्रभाव की पहचान, पर्यावरणीय घटकों की प्रस्तावित खनन कार्य से संभावित संबंधों के द्वारा स्थापित की जा सकती हैं। उपरोक्त संबंध लाभदायक या नुकसानदायक हो सकते हैं एवं इन्हें फिर लघुकृत, दीर्घकृत, वापस हो सकने वाले, न वापस हो सकने वाले, स्थानीय या क्षेत्रीय प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रस्तावित परियोजना के प्रभाव मूल्यांकन की गणना निम्न प्रकार से की गई है:-

कारक	वजन (PIU)	आधारभूत EIU (क)	पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के बगैर EIU (ख)	पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के साथ EIU (ग)	परिवर्तन EIU (ख-क)	परिवर्तन EIU (ग-क)
जैवीय पर्यावरण	300	195	185	201	16	6
पर्यावरण प्रदूषण	450	343	321	348	27	5
Aesthetic	100	77	65	75	10	-2
मानवीय रूचि	150	115	112	128	16	13
कुल	1000	730	683	752	69	22

गणना से पता चलता है कि बेहतर पर्यावरणीय प्रबंधन से परियोजना का क्षेत्र के पर्यावरण पर कोई ऋणात्मक प्रभाव नहीं होगा।

**10 पर्यावरणीय प्रबंधन योजना :-**

**10.1 भूमि का पुर्नभरण :-** उत्खनन के पश्चात् भूमि का पुर्नभरण खदान से निकलने वाले अनुपयोगी अवशिष्ट के द्वारा की जायेगी। अनुपयोगी अवशिष्ट

(ओवरबर्डन) को व्यवस्थित प्रकार से एकत्रित किया जाएगा एवं इनके उठावों की ऊँचाई एक जैसी होगी एवं इनका पुर्नभराव के लिए अधिकतम रूप से उपयोग किया जाएगा। लीज अवधि में कुल उत्खनन क्षेत्र 3७2 हैक्टेयर होगा, जबकि वर्तमान में खुदे हुए गढ्ढो का क्षेत्रफल 2.24 हैक्टेयर है। सतही मिट्टी एवं अवशिष्ट के द्वारा 1.28 हैक्टेयर क्षेत्र घेरा गया है। उत्खनन मात्रा के अनुसार प्रतिमाह लगभग 128 घनमी अवशिष्ट निकलेगा। प्रारंभिक 5 वर्षों के दौरान अवशिष्ट एवं अन्य ठोस पदार्थों को लीज क्षेत्र की पूर्वी सीमा पर एकत्र किया जाएगा। लीज क्षेत्र में पूर्व में निकला हुआ लगभग 120000 घनमी अवशिष्ट एकत्रित है एवं लगभग 150800 घनमी अवशिष्ट लीज अवधि के अंत तक एकत्रित होने की संभावना है। सतही मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर रखा जाएगा। प्रारंभ के 5 वर्षों में पुर्नभराव प्रस्तावित नहीं है क्योंकि खनन के लिए नीचे जाने एवं रोड बनाने में समस्या आ सकती हैं। कुल उत्खनित 3.2 हैक्टेयर क्षेत्र में से 2 हैक्टेयर का पुर्नभरण प्रस्तावित है एवं शेष 1.2 हैक्टेयर को तालाब का स्वरूप दिया जाएगा। पुर्नभरित क्षेत्र को वृक्षारोपण एवं कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा। अवशिष्ट भंडारण पर स्थायित्व के लिए तेजी से आने वाली घास उगाई जाएगी एवं भंडारण की ढलान 36 डिग्री की रखी जाएगी। भंडारण के चारों तरफ नाली बनाई जाएगी जिससे भंडारण का वर्षा के साथ होने सकने वाले क्षय को रोका जा सकें। जिन क्षेत्रों का पुर्नभराव संभव नहीं है, उसे तालाब का स्वरूप देकर वर्षा के जल के एकत्रीकरण के लिए छोड़ दिया जाएगा। उत्खनन के पश्चात् लीज क्षेत्र का निम्न स्वरूप होगा :-

अ) तालाब – 1.2 हैक्टेयर

ब) पुर्नभरित क्षेत्र में कृषि गतिविधियाँ एवं वृक्षारोपण – 2 हैक्टेयर

उत्खनन के 15वें वर्ष से पुर्नभरण शुरू होगा एवं खनन क्षेत्र एवं पुर्नभरित क्षेत्र के बीच स्पष्ट सीमांकन होगा। खनन अवशिष्ट व अन्य पदार्थ को मानवीय रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। मोटे प्रकार के अवशिष्ट पहले भरे जाएंगे, फिर बारीक अवशिष्ट एवं अंत में सतही मिट्टी डाली जाएगी इस प्रकार पुर्नभरित भूमि को कृषि भूमि में बदला जाएगा एवं उपरोक्त पुर्नभरण की प्रक्रिया के द्वारा क्षेत्र की पुर्नउपयोगिता परिभाषित की जा सकेगी।

**10.2 हरित पट्टिका का विकास :-** प्रस्तावित परियोजना के लिए सघन वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है (पहले 2 वर्षों में 40 वृक्ष प्रति 400 वर्गमी)। उपरोक्त

वृक्षारोपण से क्षेत्र की वानस्पतिक सुन्दरता बढ़ जाएगी। प्रस्तावित उत्खनन से क्षेत्र के जैविक पर्यावरण पर कोई ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीचे दी गई तालिका में प्रारंभ के 5 वर्षों के दौरान किए जाने वाले वृक्षारोपण के कार्यक्रम को दर्शाया गया है, जबकि इस समय पुर्नभरण प्रस्तावित नहीं हैं। यह वृक्षारोपण खदान क्षेत्र की सीमा के आसपास किया जाएगा। पुर्नभरण के पश्चात् होने वाले वृक्षारोपण से क्षेत्र के जैविक पर्यावरण पर धनात्मक प्रभाव पड़ेगा।

वर्ष	वृक्षों की संख्या	रोपित क्षेत्र	जीवितता का प्रतिशत
1 <sup>st</sup>	20	400	80%
2 <sup>nd</sup>	20	400	80%
3 <sup>rd</sup>	20	400	80%
4 <sup>th</sup>	20	400	80%
5 <sup>th</sup>	20	400	80%

कुल उत्खनित 3.4 हैक्टेयर क्षेत्र में से 2 हैक्टेयर क्षेत्र का पुर्नभरण होगा एवं लीज अवधि के अंत तक पुर्नभरित क्षेत्र के 2 हैक्टेयर क्षेत्र में लगभग 3500 वृक्ष रोपे जाएंगे। इसके अतिरिक्त क्षेत्र की परिधि व वह क्षेत्र जिसमें खनिज उपलब्ध नहीं है, पर भी वृक्षारोपण किया जाएगा।

**10.3 सामाजिक आर्थिक पर्यावरण :-** क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक पर्यावरण पर परियोजना समेकित रूप से असर डालती है, चूंकि लीज क्षेत्र में कोई गाँव नहीं है एवं परियोजना में कोई विस्थापन भी नहीं हैं। अतः इस परियोजना का इस घटक पर धनात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। चूंकि परियोजना छोटी है अतः पर्यावरण के अन्य घटकों जैसे रोजगार, गृहक्षेत्र, शैक्षिक, स्वास्थ्य, आर्थिक, कृषि पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परियोजना से होने वाले कुछ धनात्मक प्रभाव इस प्रकार होंगे:-

- 1) परियोजना से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार एवं आय के साधनों में वृद्धि होगी।
- 2) प्रवासी-अप्रवासी जनसंख्या का अनुपात प्रवासी दिशा की ओर बढ़ेगा क्योंकि बेहतर रोजगार के अवसर तो उपलब्ध होंगे ही, साथ में क्षेत्र की कृषक गतिविधियों एवं एकल फसल प्रणाली के कारण होने वाली निम्न आय में भी सहायक होगी।

- 3) प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र की जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा होगी।
- 4) प्रस्तावित परियोजना से यदि क्षेत्र के लोगों की आय में संतोषजनक वृद्धि होगी तो उनके रहनसहन में भी परिवर्तन होगा।
- 5) प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र की कृषि गतिविधियाँ महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं होगी लेकिन परियोजना से होने वाली अतिरिक्त आय के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि सम्भावित हैं।

**10.4 वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था :-** प्रस्तावित परियोजना से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे :-

- 1) खदान की रोड पर जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी
- 2) उत्खनित अयस्क को डम्पर में भरते समय अयस्क के ढेर पर पानी का छिड़काव किया जाएगा।
- 3) उड़ने वाली धूल के फेलाव को कम करने के लिए लीज क्षेत्र की परिधि एवं खदान रोड के किनारे वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।
- 4) खदान रोड का समय-समय पर रखरखाव किया जाएगा।
- 5) खनन अवशिष्ट के भण्डारण पर घास ऊगाई जाएगी जिससे कि तेज हवाओं से उड़ने वाली धूल की रोकथाम की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न उपाय ओर किए जाएंगे,

- 1) विस्फोट के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के समय उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए नमी युक्त ड्रिलिंग की विधि अपनाई जाएगी।
- 2) धूलीय वातावरण में काम करने वाले काम करने वाले कर्मचारियों के लिए डस्ट मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 3) लीज क्षेत्र के चारों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा।
- 4) वाहन एवं मशीनों का उचित रखरखाव किया जाएगा जिससे की उन से होने वाला उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
- 5) खदान क्षेत्र का उचित रखरखाव एवं देखभाल के द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखा जाएगा।

**10.5 ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय :-** उत्खनन प्रक्रिया के दौरान ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्षेदन, विस्फोट, सामग्री संचालन, मशीन एवं परिवहन होते हैं। निम्न उपायों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण किया जाएगा :-

- 1) लीज क्षेत्र के जिन बिन्दुओं पर ध्वनि स्तर 85dBA से ज्यादा होगा वहाँ पर कर्मचारियों को इयरप्लग एवं इयरमफ दिए जाएंगे।
- 2) क्षेदन कार्य के लिए नमीयुक्त विधि अपनाई जाएगी।
- 3) मशीनों को समुचित रूप से चलने के लिए उनका समय समय पर सही तरह से चिकनाईयुक्त एवं सुधार कार्य किया जाएगा।
- 4) विस्फोट की विधि पूर्ण रूप से व्यवस्थित होगी। इसके लिए एक समय में एक या दो छेद में ही विस्फोट किए जाएंगे एवं इसके लिए डिले डीटोमीटर की सहायता ली जाएगी।
- 5) जब वातावरण बादलों से ढका होगा उस समय विस्फोट की प्रक्रिया नहीं की जाएगी।
- 6) सामान्य डीटोनेटिंग फ्यूज की जगह विद्युत डीटोनेटर उपयोग में लाया जाएगा।
- 7) विस्फोट की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच की जाएगी। उस समय यह भी देखा जाएगा कि वातावरण में हवा का घनत्व कम हो एवं तापमान में स्थिरता ज्यादा हो।
- 8) लीज क्षेत्र की परिधि पर अवशिष्ट के भराव का अवरोध बनाया जाएगा एवं तीन चरणों वाली हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा।
- 9) विस्फोट का द्वितीय चरण नहीं किया जाएगा एवं हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जाएगा।
- 10) हो मशीनें ज्यादा ध्वनि स्वर उत्पन्न करने वाले होंगे उन पर ध्वनि अवरोधों की व्यवस्था की जाएगी।
- 11) उत्खनित गड्डों एवं खदान रोड के किनारें सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।
- 12) रात के समय भारी एवं तेज ध्वनि वाले कार्य नहीं किए जाएंगे।
- 13) वाहनों को चालको को अनावश्यक रूप से हार्न बजाने से रोका जाएगा।

**10.6 जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय :-** निम्न उपायों के द्वारा जल प्रदूषण की रोकथाम की जाएगी :-

- 1) उत्खनित गड्डों के भरे हुए वर्षा के जल को निकालने के लिए समूचित व्यवस्था क्षमता वाली मोटर का उपयोग किया जाएगा।
- 2) प्रस्तावित खदान में कोई बेनिफिसियल संयंत्र स्थापित नहीं होगा अतः यहाँ से दूषित जल का निस्तारण नहीं होगा।
- 3) सम्प में एकत्रित पानी में किसी प्रकार की विषाक्ता नहीं होगी क्योंकि मिट्टी एवं अयस्क दोनों में विषाक्त घातुओं का अभाव है।
- 4) धूल के निलंबित कणों के अवक्षेपण के लिए अवशिष्ट भराव के नीचे गारलैंड निकास की व्यवस्था की गई है।
- 5) लीज क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर सेटलिंग टैंक की व्यवस्था की जाएगी जिसमें सिल्ट का अपक्षेपण कराया जाएगा।
- 6) मानसून एवं मानसून के पश्चात् सेटलिंग टैंक के पानी का विश्लेषण कराया जाएगा।
- 7) खदान से निकलने वाले जल में सिल्ट की मात्रा कम से कम रखने का प्रयास किया जाएगा।
- 8) कर्मचारियों के पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था की जाएगी।

**11.0 उपसंहार :-** मेसर्स शाकम्भरी माईन एवं मिनरल की उपरोक्त मँगनीज खदान, जो कि ग्राम गोवारी वादोना, तहसील सौंसर, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) में स्थित है, के द्वारा खदान के संचालन के दौरान बेहतर पर्यावरण प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जावेगी एवं पर्यावरण उन्नयन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली विधियों तथा मापदंड के क्रियान्वयन के कारण पर्यावरण पर कोई ऋणात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।